राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.3(13)अल्प.वक्फ / 2017 / RK /   जयपुर दिनांक 14 मई, 2018

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड,
जयपुर।

विषयः– मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा संख्या 113 की क्रियान्विति अन्तर्गत "आदर्श मदरसा योजना" के दिशा–निर्देशों के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा संख्या 113 की क्रियान्विति अन्तर्गत "आदर्श मदरसा योजना" के संचालन हेतु दिशा–निर्देश संलग्न कर लेख है कि दिशा निर्देशानुसार योजना की क्रियान्विति कराने का श्रम करें।

उक्त दिशा–निर्देश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161800498 दिनांक 03.05.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (दिशा–निर्देश संलग्न):–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को सूचनार्थ एवं समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पालनार्थ भिजवाये जाने हेतु।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रा.) को पालनार्थ भिजवाये जाने हेतु।
13. निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक को पालनार्थ भिजवाये जाने हेतु।
14. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
15. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स (राजस्व), राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

आदर्श मदरसा योजना
–: दिशा–निर्देश :–

1. **प्रस्तावनाः–**

राजस्थान राज्य में वर्तमान में 3232 मदरसे संचालित हैं। राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अलख जगाने तथा मुख्य धारा में लाने हेतु इन मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मदरसे के स्त्रोत अत्यल्प होने के कारण इन मदरसों के आधारभूत हालात अत्यन्त चिन्ताजनक एवं दयनीय हैं। इन मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संसाधनों का अभाव है।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 113 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा ''आदर्श मदरसा योजना'' की घोषणा की गई यथा–

> ''मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मैं, आदर्श मदरसा योजना की घोषणा करती हूँ। इसके तहत पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर राशि रूपये 25 करोड़ 18 लाख खर्च किये जायेंगें।''

अतः आदर्श मदरसा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य में ''ए'' श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर उन्हें आदर्श या मॉडल मदरसा के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा एवं आधुनिक बनाया जाएगा।

2. **परिभाषा :–**

इस योजना में वर्णित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(i) बोर्ड का आशय ''राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर'' से है।

(ii) अध्यक्ष का आशय ''अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड'' से है।

(iii) राज्य सरकार का आशय ''राजस्थान सरकार'' से है।

(iv) मदरसे का आशय– राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के मदरसे से है।

(v) योजना का आशय ''आदर्श मदरसा योजना'' से है।

(vi) ''ए'' श्रेणी के मदरसे की परिभाषा आदेश F-Registration/RMB/2013/4069 दिनांक 10.10.2014 तथा क्रमांक प.3(6)अल्प.वक्फ/2017/RK/00428 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार होगी। (संलग्न परिशिष्ट–1 व 2)

3. <u>उद्देश्य</u> :–

योजनान्तर्गत चयनित मदरसे को ''आदर्श मदरसा'' बनाए जाने हेतु निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होगीः–

(I) मदरसों के छात्र–छात्राओं को ई ज्ञान उपकरण (Device) द्वारा शिक्षा प्रदान कराना। (यह कार्य <u>DOIT</u> के माध्यम से कराया जाएगा)

(II) विद्यार्थियों में खेल–कूद के प्रति रूचि उत्पन्न करने की दृष्टि से खेल–कूद किट यथा फुटबाल, केरम बोर्ड आदि वितरित करना।

(III) मदरसों को ग्लोब, चार्ट, पुस्तके, मेथ्स किट व अन्य शिक्षण सामग्री वितरण करना।

(IV) मदरसों को विद्यार्थियों के उपयोग हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(V) अन्य वस्तुएं जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

ये सभी सामग्री राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. <u>''आदर्श मदरसा'' की चयन प्रक्रिया</u> :–

(I) योजना के अन्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा बोर्ड से प्राप्त पंजीकृत 'ए' श्रेणी मदरसों की सूची जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध करवायी जायेगी।

(II) समिति द्वारा जिला स्तर पर ''ए'' श्रेणी के मदरसों की सूची में से लाभांवित होने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा। प्रत्येक जिले में चयन किये जाने वाले मदरसों की जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है (परिशिष्ट–3)।

(III) समिति द्वारा आदर्श मदरसों का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि चयनित मदरसा विभागीय पंजीकरण नीति दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधन नीति आदेश 06.04.2018 (परिशिष्ट–1 व 2) में दिये गये ''ए'' श्रेणी के सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्ण करता हो।

(IV) समिति द्वारा चयन किये गये मदरसों में उपलब्ध सामग्री/सुविधा का भौतिक सत्यापन करवाकर बिन्दु संख्या–3 में उल्लेखित सामग्री/सुविधा की आवश्यकता का आंकलन कर तद्नुसार प्रस्ताव राजस्थान मदरसा बोर्ड को प्रेषित किया जावें।

(V) जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

a)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
b)	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	सदस्य
c)	उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग	सदस्य
d)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)	सदस्य
e)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

5. <u>योजना की मॉनिटरिंग</u> :–

योजना की मॉनिटरिंग निम्नांकित स्तर पर की जायेगी :–

(I) जिला स्तर– जिला स्तरीय कमेटी द्वारा योजना की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

(II) राज्य स्तर– राज्य स्तर पर सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा योजना का नियंत्रण किया जायेगा।

(III) थर्ड पार्टी इवेलुएशन– मदरसों के बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं मदरसों के कार्य स्थल का सम्पूर्ण मूल्याकंन हेतु प्रति दो वर्ष बोर्ड द्वारा थर्ड पार्टी इवेलुएशन कराया जायेगा।

(IV) इनवेन्टरी मेनेजमेंट सिस्टम – बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवायी गई वस्तु/सामग्रीयों के प्रभावी उपयोग हेतु इनवेन्टरी मेनेजमेंट सिस्टम प्रारंम्भ किया जायेगा।

6. दिशा–निर्देश से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर सक्षम होंगे।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

पा.रा.मि.०८-०१

106

नई पंजीयन नीति

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर,
जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांकः F-Registration/RMB/2013/ 4069 Date 10-10-14

कार्यालय आदेश

विषय :- मदरसों का पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति।

राजस्थान मदरसा बोर्ड में मदरसों का प्राथमिक स्तर में पंजीयन करने एवं उनको उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

प्राथमिक स्तर में पंजीयन नीति —

राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों को निम्न मानदण्ड पूर्ण करने पर बोर्ड में प्राथमिक स्तर के मदरसों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा :-

1. मदरसा पूर्व में भली भांति चलता हुआ होना आवश्यक है।
2. मदरसे का स्वयं का भवन/भूमि होना आवश्यक है। मदरसे के पास भूमि का मालिकाना हक होना आवश्यक है। इसके लिए मदरसे के पास भूमि का पट्टा अथवा रजिस्ट्री आवश्यक है। यदि बख्शीसनामा, इकरारनामा, मुख्तियार नामा है तो उसका राज्य में स्थित किसी भी तहसीलदार/उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इनका पंजीयन "केटेगरी-ए" में किया जाएगा।
3. मस्जिद/वक्फ सम्पति में संचालित मदरसे अथवा जिन मदरसों के भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक नही है एवं वह किराये के भवन में संचालित नहीं है, उन मदरसों का पंजीयन "केटेगरी-बी" में किया जाएगा।
4. मदरसे में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा, पीने के पानी की माकूल सुविधा होना आवश्यक है।
5. प्राथमिक स्तर के पंजीयन हेतु मदरसे में न्यूनतम छात्र संख्या 35 होना आवश्यक है। किन्तु रेगिस्तानी एवं पहाडी जिलों में संचालित मदरसों में न्यूनतम छात्र संख्या 20 होना आवश्यक है।
6. मदरसा समाज द्वारा मनोनीत/निर्वाचित प्रबंन्धन समिति द्वारा संचालित हो तथा जहां विद्यार्थी दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करते हों।
7. मदरसा, समाज के द्वारा निर्मित मदरसा भवन/वक्फ सम्पति/मस्जिद से सम्बद्ध भवन में चलता हो तथा जहां बच्चे पूरे समय (5-6 घन्टे) दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करते हो।
8. मदरसा बिना लाभ हानि के नाम मात्र की फीस से संचालित हो।
9. निजी लाभ के लिए 'निजी व्यक्ति या ग्रुप द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य' से संचालित मदरसों का पंजीयन नहीं किया जाएगा।
10. मदरसे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।
11. मदरसे को सरकार/मदरसा बोर्ड से जो भी अनुदान/सहायता राशि मिलेगी उसका नियमित लेखा जोखा मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार रखना होगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्देशानुसार प्रस्तुत करने होंगे।
12. न्यायिक विवाद होने पर माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में यदि सरकार/राजस्थान मदरसा बोर्ड को पक्षकार बनाया जाता है तो ऐसे मामले में न्यायिक निर्णय मानने हेतु सम्बन्धित मदरसा बाध्य होगा।

पंजीयन कैटेगरी

1. पंजीयन दो श्रेणियों में किया जाएगा। "कैटेगरी-ए" एवं "कैटेगरी-बी"
2. "कैटेगरी-ए" में पंजीकृत मदरसों को समस्त भौतिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता यथा साजो सामान एवं शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाए जा सकेंगे।

3. वह मदरसे जो उपरोक्तानुसार भूमि के मालिकाना हक के संबंध में योग्यताएं पूर्ण नहीं करते हैं, किन्तु अन्य सभी योग्यताए पूर्ण करते हैं, तथा किराए के भवन में संचालित नहीं हैं। उन मदरसों का **"कैटेगरी–बी"** में पंजीयन किया जा सकेगा। इन मदरसों को भवन निर्माण मद में अनुदान नही दिया जाएगा। शिक्षा सहयोगी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

पंजीयन प्रक्रिया :–

1. पंजीयन हेतु मदरसे को बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–
   1. मदरसे के सदर/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक सत्यापन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
   2. सदर एवं सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अलग–अलग शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   3. मदरसे की भूमि एवं भवन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   4. मदरसे के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज
   5. मदरसे का उद्देश्य एवं संविधान, यदि कोई निर्धारित कर रखा है।
   6. मदरसा संचालन का रिकॉर्ड – यथा बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉफ रजिस्टर, मदरसा प्रबंधन कमेटी का कार्यवाही विवरण आदि
   7. मदरसे में अध्ययनरत विद्यार्थियों की नामवार व कक्षावार सूची
   8. मदरसे में अध्ययन करवा रहे शिक्षकों एवं मौलवियों की सूची, योग्यता विवरण मय प्रमाणित वोटर आई.डी., नमूना हस्ताक्षर के साथ।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं भौतिक सत्यापन में तथ्यों का अनुमोदन कर आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय को भिजवाएंगे।
4. मदरसा आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा अथवा मदरसा बोर्ड से 100/– रूपये का शुल्क देकर छपा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
5. पंजीयन शुल्क रू. 500/– निर्धारित किया जाता है, उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से तैयार करवाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. पंजीयन नीति के अनुसार योग्य पाए गए मदरसों का पंजीयन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पंजीयन आदेश भी जारी किया जाएगा।
7. प्रत्येक पांच वर्ष बाद मदरसे को पंजीयन का पुनरावलोकन करने हेतु आवेदन करना होगा। पुनरावलोकन में यदि मदरसा संचालित नहीं है अथवा पंजीयन की शर्तें पूर्ण नहीं करता है, तो मदरसे का पंजीयन निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड को होगा।

औचक निरीक्षण :–

पंजीकृत मदरसों का मदरसा संचालन के समय में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधिकृत अधिकारियों/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। औचक निरीक्षण में मांगे गए दस्तावेज निरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

पंजीयन सक्षमता :– निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों का पंजीयन करने का कार्य राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन आदेश जारी किये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों की क्रमोन्नयन नीति

प्रस्तावना :– प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांकः प.16(2)शिक्षा–1/प्राशि./99/पार्ट–1 दिनांक 23.10.2009 द्वारा बोर्ड में प्राथमिक स्तर के पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों के रूप में क्रमोन्नत करने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किये गए थे।

FILENAME: [illegible]

शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित नीति मे विभाग बदलने के कारण आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों के क्रमोन्नत करने की नीति के निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित करते हुए क्रमोन्नयन नीति निर्धारित की जाती है :–

निर्धारित मानदण्ड	न्यूनतम योग्यता
1 रजिस्ट्रेशन	मदरसा बोर्ड में प्राथमिक स्तर के मदरसे के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है।
2 भवन	6 कक्षा–कक्ष, एक प्रधानाचार्य / स्टॉफ कक्ष, स्टोर, पेयजल, शौचालय छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग
3 भूमि	मदरसे की स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। भूमि के मालिकाना हक, पट्टा विक्रय पत्र पंजीकृत बक्सीसनामा मदरसा / मदरसा प्रबंधन कमेटी के पास होने आवश्यक हैं।
4 वित्तीय संस्था के आय के स्त्रोत	1. मदरसा के खाते में 10,000/– (दस हजार) रूपये की सावधि जमा (एफ.डी.) खाते में होना चाहिए, जो निकाले नहीं जाने चाहिए। 2. मदरसे की नियमित आय का आंकलन एवं उक्त आय के स्थायी स्त्रोत, होने का स्पष्ट विवरण। 3. स्त्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण पत्र। 4. मदरसे के बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति। 5. मदरसे के बैंक-खाते के निरस्त चैक की प्रति।
5 स्टॉफ	1. प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक समकक्ष), प्रशिक्षित स्नातक – 1 (एक) 2. अध्यापक–प्रशिक्षित – प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक 3. शारीरिक शिक्षक (प्रशिक्षित) – 1 (एक) 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 1 (एक)
6 फर्नीचर	1. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी डेस्क की मेज / स्टूल–बैंच, दरी–फर्श– छात्र संख्या के अनुसार 2. अध्यापक मेज और कक्षा / वर्ग कुर्सी के अनुसार 3. प्रधानाध्याक मेज – एक 4. प्रधानाध्यापक कक्ष कुर्सी – पांच 5. अध्यापक कक्ष मेज बडी – एक 6. अध्यापक कक्ष कुर्सी – पांच 7. आलमारी 1. प्रधानाध्यापक – दो 2. परीक्षा और कार्यालय अभिलेख – दो
7 पुस्तकालय	1. दैनिक समाचार पत्र – दो 2. बालोपयोगी पत्रिका – दो 3. साप्ताहिक पत्रिका – एक 4. पुस्तकें – 300 अतिरिक्त
8 अध्ययन / अध्यापन सामग्री	1. ब्लैक बोर्ड – कक्षानुसार आवश्य 2. ज्योमेट्री बॉक्स लकडी का बड़ा – एक 3. ग्लोब बडा – एक 4. चार्ट – पाठ्यक्रम के अनुसार 5. मॉडल्स – पाठ्यक्रम के अनुसार 6. नक्शे – जिला, राज्य, देश और विश्व – एक सैट 7. प्राकृतिक, राजनैतिक, वनसम्पदा, खनिज एवं यातायात– एक सैट 8. रोल अप बोर्ड – तीन 9. पाठ्यक्रम – एक सैट 10. पाठ्यपुस्तकें – प्रति कक्षा–एक सैट 11. अध्यापक संदर्शिका – प्रति कक्षा एक सैट 12. विज्ञान सामग्री – आवश्यकतानुसार
9 खेल सामग्री	1. फुटबाल – चार 2. वॉलीबाल म्य नेट – चार 3. हैण्डबॉल – दो 4. सॉफ्ट बॉल – दो 5. शॉट पुट (जूनियर) – एक 6. डिस्क (जूनियर) – एक 7. जेवेलियन – एक
10 फीस	निःशुल्क / आवश्यकता हो तो मामूली फीस समुदाय की साधारण सभा में निर्धारित करानी होगी तथा बोर्ड से उसका अनुमोदन लेना होगा।

11 गणवेश (यूनीफार्म)	मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित
12 पाठ्यक्रम	यथावत परन्तु दीनी तालीम का पाठ्यक्रम मदरसा प्रबंधन समिति के अनुसार होगा।
13 छात्रावास	इस क्रम में राज्य सरकार व बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
14 प्रबन्ध समिति	मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीयन मानदण्डों के अनुसार 11 सदस्यीय मदरसा प्रबन्धन समिति होगी। जो पहले से ही पंजीकृत होगी, मान्यता के समय इसका बोर्ड द्वारा सत्यापन करवाया जायेगा।
15 क्षेत्र	1. विद्यालय के आसपास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। 2. एक कि.मी. की दूरी में अन्य पंजीकृत मदरसा न हो। शहर के मामले में सम्बन्धित मौहल्ले में अन्य मदरसा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का न हो तथा कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम 30 छात्र हो एवं पहाड़ी तथा रेगिस्तान जिलों में 15 छात्र।
16 वेतन भत्ते	मदरसा बोर्ड द्वारा पदस्थापित मदरसा शिक्षा सहयोगियों को मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाए दी जायेगी, तथा मदरसा कमेटी द्वारा पदस्थापित शिक्षकों का वेतन / मानदेय मदरसा प्रबंधन समिति स्वयं निर्धारित कर अपने स्तर से भुगतान करेगी।
17 विविध	संस्था साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक कार्यकलापों में भाग नहीं लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनैतिक फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए।
18 विद्यार्थी कल्याण	विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम, खेल एवं प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी तथा चरित्र निर्माण और नैतिकता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
19 निरीक्षण	संस्था की जांच / निरीक्षण किसी भी समय मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। संस्था को सभी आवश्यक अभिलेख / विवरण तुरन्त उपलब्ध कराने होंगे।
20 प्राथमिक स्तर में पंजीकरण	क्रमोन्नयन हेतु मदरसे को "केटेगरी–ए" में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। उक्त नीति पॉलिसी निर्धारित करने से पूर्व जिन मदरसों का प्राथमिक श्रेणी में बगैर केटेगरी के पंजीयन किया गया है, उनको क्रमोन्नत करते समय अन्य मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा।

क्रमोन्नयन प्रक्रिया :–

1. आवेदन प्रपत्र–पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा।
2. मदरसा आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड से 100 / – रूपये का शुल्क देकर छपा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
3. मान्यता शुल्क – मान्यता शुल्क रू. 1000 / – होगा। उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से बनाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. शपथ पत्र :– आवेदन पत्र के साथ मदरसा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथपत्र रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति पाए जाने पर आवेदन पत्र को राजस्थान मदरसा बोर्ड को अपनी अभिशंषा के साथ अग्रेषित करेंगे।
6. बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर क्रमोन्नयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमोन्नत करने की सक्षमता :–

निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों को क्रमोन्नत करने के आदेश राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा जारी किये जायेंगे।

मान्यता सम्बन्धित विवादों का निस्तारण :–

मदरसे को मान्यता देने अथवा नहीं देने पर विवाद होने की स्थिति में निम्न सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती है, जिसकी अभिशंषा राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कमेटी की अभिशंषा राज्य सरकार निर्णय करेगी। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

1. अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	अध्यक्ष
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर / अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
3. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	सदस्य सचिव

मदरसों को राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से सुविधाएं एवं शिक्षा सहयोगियों का निर्धारण –
मदरसों को भौतिक एवं वित्तीय सुविधाओं एवं शिक्षा सहयोगियों के निर्धारण के प्रस्ताव राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा तैयार कर अपनी अभिशंषा राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों को भौतिक एवं वित्तीय सुविधाएं दी जाएगी।

*यह आदेश माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग की आई.डी. क्रमांकः 225/*MOS/MA/13 Date 03-12-2013 *द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते है।*

(शकुन्तला सिंह)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
जयपुर

क्रमांकः F-Registration/RMB/2013/ 4070 – 4102 Date 10-10-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है –

1. संयुक्त सचिव, (पी.सी.) मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
4. उप निदेशक, संभाग.............................अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला.......................
6. सहायक निदेशक–III, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
जयपुर

परिशिष्ट-02

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.3(6)अल्प.वक्फ / 2017 / RK / 00428 जयपुर दिनांक 06 अप्रेल, 2018

–: आज्ञा :–

निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश "मदरसो का पंजीयन एवं क्रमोन्नत नीति" क्रमांक F-Registration/RMB/2013/4069 दिनांक 10.10.2014 के बिन्दु संख्या 2 व 3 में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित "ए" श्रेणी के मदरसों की परिभाषा को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

1. ऐसे मदरसे जिनके पास भूमि के मालिकाना हक के संबंध में पंजीकृत भूमि पट्टा / रजिस्ट्री / रजिस्टर्ड बख्शीशनामा / इकरारनामा / मुख्त्यारनामा है।
2. ऐसे मदरसे जिनके पास अपंजीकृत पट्टा है उन्हें इस शर्त पर कैटेगरी "ए" में पंजीकृत किया जायेगा कि 3 माह में तहसीलदार / उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. वक्फ सम्पत्ति में संचालित मदरसें।

यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(श्रेया गुहा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, (पी.सी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला ....
8. सहायक निदेशक–III, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ठ-03

83

मुख्यमंत्री आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत चयनित 500 मदरसों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल संख्या
1	अजमेर	23
2	अलवर	7
3	बासवाड़ा	6
4	बाड़मेर	95
5	बारां	18
6	भरतपुर	7
7	भीलवाड़ा	18
8	बीकानेर	3
9	बून्दी	14
10	चितौड़गढ	7
11	चुरू	13
12	दौसा	5
13	धौलपुर	7
14	डूंगरपुर	4
15	हनुमानगढ	9
16	जयपुर	28
17	जैसलमेर	31
18	जालौर	12
19	झालावाड़	7
20	झुन्झुनू	10
21	जोधपुर	37
22	करौली	6
23	कोटा	9
24	नागौर	36
25	पाली	21
26	राजसमंद	2
27	सवाई माधोपुर	9
28	सीकर	22
29	सिरोही	1
30	श्री गंगानगर	1
31	टोंक	19
32	उदयपुर	7
33	प्रतापगढ	6
कुल मदरसों की संख्या		500

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर